राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में / Wholly owned by the Reserve Bank of India)



CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) [NOT VALID FOR ACCEPTANCE OF PUBLIC DEPOSITS]

सं 0 / No. 02.0056.04

1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एस आर जी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड

को दूसरी तरफ उद्धत शर्ती पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किए बिना

आवास वित संस्थान का व्यापार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह पंजीकरण प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है। In exercise of the powers conferred on the National Housing Bank by Section 29A of The National Housing Bank Act, 1987

SRG Housing Finance Limited

is hereby granted Certificate of Registration to commence / carry on the business of a housing finance institution

* without accepting public deposits

subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नई दिल्ली मे आज वर्ष दो हजार चार के अप्रैल माह के पन्दहवें दिन जारी किया गया। Given under my hand at New Delhi this Fifteenth day of the month of April in the year two thousand Four

तन्त्रीय आयात देंक NATIONAL HOUSING BANK

प्राधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory